न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 195 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 650

1. लक्ष्मी नारायण दास उर्फ लक्ष्मण दास पिता जगन्नाथ दास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी श्रीनगर तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–	1–	श्री अनुराग ओझा	–	अधिवक्ता प्रार्थी
	2–	पेरोकार सरकार	–	स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 06 / 11 / 2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा श्रीनगर प०ह० निम्बोदा तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या नया 46 की आ0न0 123 / 65, 124 / 63 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4500 हैक्टेयर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2077 से 2080 (वर्ष 2020 से स्थायी) पेश है। प्रार्थी का उक्त आराजियात में सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है और जमाबन्दी में दर्ज नाम भिन्न है, रेकॉर्ड में दर्ज नाम लक्ष्मण दास है जबकि वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण दास है परन्तु प्रार्थी का दस्तावेजी नाम जमाबन्दी में दर्ज नाम से मेल नहीं खाने के कारण सरकार द्वारा जारी कृषि सहायता एंव ऋण प्राप्त नही कर पा रहा है, मुआवजा व अन्य सरकारी सहायताओं से भी वंचित है इसलिए जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दुरस्त करते हुए लक्ष्मण दास के बजाय लक्ष्मी नारायण दास अंकित किया जानाआवश्यक है एंव प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी, प्रार्थी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों की प्रतियां पेश है।

2. दिनांक 12.09.2024 को विपक्षी को नकल जमाबन्दी में नाम दुरस्त करने के लिए कहा एंव अपने दस्तावेजों में दर्ज नाम को दिखाया तथा सरकार द्वारा जारी सभी कृषि सहायताओं से वंचित होने की जानकारी दी तो शीघ्र ही नाम शुद्ध करने का आश्वासन दिया परन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की है इसलिए आप न्यायालय की शरण लेनी पड रही है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] कि ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल निम्बोदा में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 20[illegible]80 [illegible] खाता संख्या 46 पर अंकित आराजी नं0 123 / 65 रकबा 0.61 है० [illegible] रकबा 0.84 है० किता–2 रकबा 1.45 है० श्री लक्ष्मणदास पुत्र [illegible] श्रीनगर के नाम [illegible]दारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्तमान् आराजी नं0 124 / [illegible] रकबा 0.84 है० के [illegible]बर 63 रकबा 1.03 है० है जिनके गत भू–प्रबंध में आराजी नं0 18 / 3 ख और वर्तमान आराजी नं0 123 / 65 रकबा 0.61 है0 के मूल नम्बर 65 रकबा 1.87 है0 है जिनके गत भू–प्रबंध में आराजी नं0 18 / 4 कमि. दर्ज रेकार्ड है। उक्त गत भू–प्रबंध में आराजी नं0 18 / 3 ख

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा व आराजी नं0 18/4 कमि. रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2041–44 में खाता सं. 5 में खातेदार श्री जगन्नाथदास पिता घासीदास बैरागी सा. देह के नाम खातेदारी हक से दर्ज है बाद यह भूमि जरिये वसीयत बिलेख के नामान्तरण सं. 98 दिनांक 05.05.89 से श्री कानादास, लक्ष्मणदास पिता जगन्नाथदास बैरागी हि.ब. सा. देह के नाम अमल दरामद हुई और दिनांक 11.01.07 को नामान्तरण संख्या 170 आपसी सहमति बंटवारा का स्वीकृत होकर श्री कानादास और लक्ष्मणदास के प्रथक–प्रथक दर्ज हुई। जमाबन्दी संवत् 2077–80 में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणदास अंकित है जो वसीयत के नामान्तरण से अब तक लक्ष्मणदास अंकित है। ग्राम श्रीनगर के मजमें आम में पूछताछ करने पर ग्रामवासियों/मौतबिरान् ने बताया कि लक्ष्मणदास को ही लक्ष्मीनारायणदास कहा जाता है और दोनों नामों से पुकारा जाता है। यह दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। उपरोक्त अंकित कृषि भूमि पर इसका ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी श्री लक्ष्मणदास राजस्व रेकार्ड में अपना नाम लक्ष्मीनारायणदास परिवर्तन कराना चाहता है लकिन वसीयत के नामान्तरण में ही प्रार्थी का नाम लक्ष्मणदास दर्ज हुआ है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक हो[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों ए[illegible] सार यह है कि उक्त प्रकरण 136 का नही होकर धा[illegible]गया है तथा सेटलमेन्ट से पूर्व तथा बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया [illegible]ा। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट के साथ भी कोई रेकार्ड आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मौक रिपोर्ट में मात्र प्रार्थी के कथनानुसार शुद्धि का हवाला दिया गया है जो प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं । प्रार्थी अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested